ई-न्यूज
24 न्यूज अपडेट
WebSite.: https://24newsupdate.in
उदयपुर, शुक्रवार 18 अप्रैल 2025
Mail Id :desk24newsupdate@gmail.com
वर्ष 2 अंक 28

सोना खरीदना हुआ सपना! अक्षय तृतीया 2025 पर इस बार खरीदिए चांदी



24 न्यूज अपडेट

नई दिल्लीः अक्षय तृतीया इस साल 30 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी. हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं. अक्षय का मतलब है जिसका कभी क्षय न हो. यही वजह है कि लोग इस दिन खास तौर पर सोना-चांदी जैसी धातुएं खरीदते हैं.

इस अक्षय तृतीया पर सोने की कीमतें आसमान छू रही है. ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे है कि इस बार सोना खरीदे या चांदी को. अक्षय तृतीया पर आपको सोने के साथ चांदी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. टाटा म्यूचुअल फंड की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, सोने-चांदी का अनुपात बढ़कर 100 हो गया है - जो हाल के वर्षों में देखा गया उच्चतम स्तरों में से एक है. इसका मतलब यह है कि सोने की तुलना में चांदी का मूल्य काफी कम है.

सोना-चांदी अनुपात से पता चलता है कि एक औंस सोना खरीदने के लिए कितने औंस चांदी की जरूरत होती है। ऐतिहासिक रूप से, यह अनुपात औसतन 60 से 70 के आसपास रहा है. अधिक संख्या यह दिखाती है कि सोना चांदी के मुकाबले अधिक महंगा हो गया है.

चांदी खरीदने की वजह

केंद्रीय बैंक की खरीद, महंगाई की आशंका, भू-राजनीतिक तनाव और कमजोर अमेरिकी डॉलर मांग को बढ़ा रहे हैं. 2025 में 450 मीट्रिक टन के वैश्विक अनुमानों के साथ, सोने-समर्थित ईटीएफ में प्रवाह भी बढ़ रहा है. हालांकि, चांदी ने गति नहीं पकड़ी है.

विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर ऊर्जा में औद्योगिक मांग के साथ इसका मजबूत संबंध, इसे वैश्विक विकास चिंताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है. इस वजह ने सोने-चांदी के अनुपात को ऐतिहासिक रूप से चरम स्तरों पर धकेल दिया है.

टाटा म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट बताती है कि सोना एक मजबूत सुरक्षित आश्रय बना हुआ है. लेकिन चांदी मौजूदा स्तरों पर बेहतर मूल्य दे सकती है. हमेशा की तरह, निवेशकों को निर्णय लेने से पहले पोर्टफोलियो की जरूरतों, बाजार के रुझान और जोखिम उठाने की क्षमता पर विचार करना चाहिए.

अक्षय तृतीया को पारंपरिक रूप से सोने और चांदी में निवेश करने के लिए एक शुभ समय के रूप में देखा जाता है. इस वर्ष, आंकड़ों पर करीब से नजर डालने से निवेशकों को बेहतर संतुलन बनाने में मदद मिल सकती है.

चांदी सोने से अधिक मूल्यवान क्यों?

कीमती धातुओं की लगातार बदलती दुनिया में चांदी को लंबे समय से अधिक किफायती विकल्प माना जाता रहा है. लेकिन अब स्थिति बदल रही है और उम्मीद है कि चांदी का भविष्य का मूल्य सोने से अधिक होगा. यह उम्मीद विभिन्न क्षेत्रों - प्रौद्योगिकी और सूचना-संचार क्षेत्र, स्थिरता क्षेत्र और हरित ऊर्जा क्षेत्र में इसकी बढ़ती मांग से बढ़ रही है.

आभूषणों में इस्तेमाल होने वाली एक पारंपरिक धातु से लेकर आधुनिक तकनीकों का एक अनिवार्य हिस्सा बनने तक, चांदी में एक ऐसा बदलाव आया है जो आने वाले वर्षों में इसे सोने से अधिक मूल्यवान बना देगा.

अक्षय तृतीया पर लोग सोना जैसी कीमती धातुएं क्यों खरीदते हैं

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना समृद्धि, सौभाग्य और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है. यह न सिर्फ एक परंपरा बन गई है. बल्कि लंबी अवधि के निवेश का एक अच्छा मौका भी है. खास बात यह है कि पिछले कुछ सालों में अक्षय तृतीया के आसपास सोने की खरीदारी में बड़ा उछाल देखने को मिला है.

देश में लागू रहेगा FASTag सिस्टमःपरिवहन मंत्रालय ने 1 मई से सेटेलाइट टोल सिस्टम लागू होने को फेक बताया



24 न्यूज अपडेट

सड़क परिवहन मंत्रालय (MoRTH) ने शुक्रवार को 1 मई 2025 से FASTag बंद करने की खबर को अफवाह बताया। मंत्रालय ने कहा कि ये खबरें अफवाह हैं और FASTag अभी देश में टोल कलेक्शन का ऑफिशियल तरीका बना रहेगा।

इससे पहले 1 मई से FASTag को बंद कर सैटेलाइट टोल सिस्टम लागू करने की बात सामने आई थी। इस पर मंत्रालय ने कहा कि नेशनल हाइवे अथॉरिटी (NHAI) ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। सैटेलाइट टोल सिस्टम के बजाय, सरकार एक नए बैरियर-लेस टोल सिस्टम का टेस्ट कर रही है।

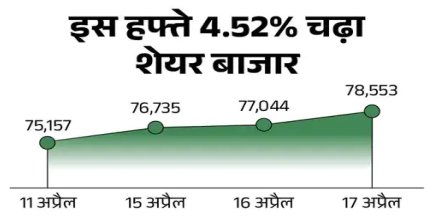
इसमें ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों और FASTag को मिलाकर वाहनों का टोल बिना रोके काटा जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम और समय की बचत होगी।

ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम का चल रहा ट्रायल

सरकार देश के कुछ चुनिंदा टोल प्लाजा पर ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान प्रणाली) और FASTag को मिलाकर बिना बैरियर वाली टोल प्रणाली टेस्ट कर रही है।

इस सिस्टम में वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे वाहन का नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और FASTag से पैसे काटे जाएंगे।

गुड फ्राइडे पर आज शेयर बाजार बंदःइस हफ्ते तीन दिन के कारोबार में 3,396 अंक चढ़ा सेंसेक्स, कल 1509 अंक की तेजी रही थी



24 न्यूज अपडेट

आज यानी शुक्रवार, 18 अप्रैल को शेयर बाजार गुड फ्राइडे के कारण बंद है। इस हफ्ते बाजार केवल दो दिन ओपन हुआ। पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार (14 अप्रैल) को अंबेडकर जयंती पर बंद था। तीन दिन के कारोबार में बाजार 3,396 अंक (4.51%) चढ़ा। कल (गुरुवार, 17 अप्रैल) बाजार में गिरावट बाद बड़ी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1509 अंक (1.96%) चढ़कर 78,553 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 414 अंक (1.77%) की तेजी रही, ये 23,852 के स्तर पर बंद हुआ।

NSE के बैंकिंग सेक्टर में तेजी रही

सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में तेजी रही। जोमैटो 4.37%, ICICI बैंक 3.68%, एयरटेल 3.63%, सनफार्मा 3.50% और SBI 3.28% ऊपर बंद हुए। मारुति और टेक महिंद्रा में मामूली गिरावट रही।

निफ्टी के 50 शेयरों में से 43 में तेजी रही। NSE का निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 2.23%, फाइनेंशियल सर्विसेज 2.05%, सरकारी बैंक 1.64%, ऑयल एंड गैस 1.23% और ऑटो में 1.03% की तेजी रही।

मुर्शिदाबाद हिंसा- राज्यपाल मालदा पहुंचेःपीड़ितों से मिलकर केंद्र को रिपोर्ट भेजेंगे, विश्व हिंदू परिषद का कल देशभर में प्रदर्शन

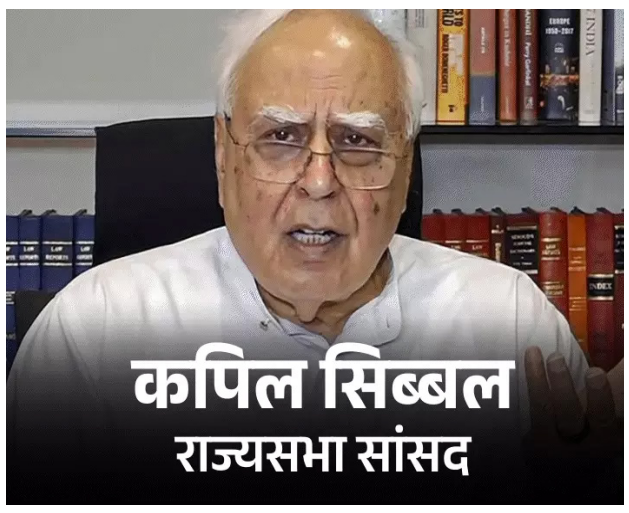


पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस शुक्रवार को मालदा पहुंचे हैं। इसके बाद ट्रेन से मुर्शिदाबाद जाएंगे। यहां अगले 2 दिन राज्यपाल हिंसा प्रभावित इलाकों और शरणार्थी शिविरों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा- मैं जमीनी स्थिति का जायजा लूंगा। वहां जो कुछ भी हुआ चौंकाने वाला है। किसी भी कीमत पर शांति स्थापित होनी चाहिए।

बोस ने कहा कि वह पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहे हैं और इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देंगे। इससे पहले गुरुवार को CM ममता बनर्जी ने राज्यपाल से दौरा स्थगित करने का अनुरोध किया था। ममता ने कहा- मैं गैर-स्थानीय लोगों से अनुरोध करूंगी कि वे अभी मुर्शिदाबाद का दौरा न करें। राज्यपाल से कुछ और दिन प्रतीक्षा करने की अपील करूंगी।

उधर, विश्व हिंदू परिषद (VHP) हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। वीएचपी कार्यकर्ता शनिवार को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि देश भर के हर जिला मुख्यालय में जिलाधिकारियों को ज्ञापन देकर मांग करेंगे कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार करे।

सिब्बल बोले-उपराष्ट्रपति आज कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहेःजब एक जज ने इंदिरा गांधी को अयोग्य कर दिया था, वो फैसला उन्हें स्वीकार था



राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अदालतों को लेकर दिए बयान पर निशाना साधा। सिब्बल ने कहा कि राष्ट्रपति नाममात्र का मुखिया होता है। वह कैबिनेट के अधिकार और सलाह पर काम करता है। राष्ट्रपति के पास अपना कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता। जगदीप धनखड़ को यह बात पता होनी चाहिए।

सिब्बल ने शुक्रवार को कहा- जब सरकार के कुछ लोगों को न्यायपालिका के फैसले पसंद नहीं आते, तो वे उस पर अपनी सीमाएं लांघने का आरोप लगाने लगते हैं। सिब्बल ने 1975 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया। सिब्बल बोले, "लोगों को याद होगा कि जब इंदिरा गांधी के चुनाव के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो केवल एक जस्टिस कृष्ण अय्यर ने फैसला सुनाया था और इंदिरा गांधी को सांसद पद से हटा दिया गया था। तब धनखड़ जी को यह स्वीकार्य था, लेकिन अब सरकार के खिलाफ दो जजों की बेंच के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं?"

दरअसल, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर आपत्ति जताई, जिसमें उसने राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी। धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं।

गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में डिजिटल रेप केसःमंत्री ने इलाज से डिस्चार्ज तक की रिपोर्ट मांगी; डॉक्टरों का बोर्ड एयर होस्टेस की मेडिकल जांच करेगा



गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में बंगाल की एयर होस्टेस से डिजिटल रेप केस में हरियाणा सरकार की एंट्री हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने गुरुग्राम सेहत विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब कर ली है। जिसके बाद एयर होस्टेस की मेडिकल कराने का फैसला किया गया है। गुरुग्राम की चीफ मेडिकल ऑफिसर (CMO) डॉ. अलका सिंह डॉक्टरों का बोर्ड बनाएंगी। सोमवार को पीड़िता का मेडिकल कराया जाएगा। इसके लिए डॉ. अलका सिंह ने मेदांता अस्पताल से इलाज की डिटेल मंगाई है। उन्होंने एडमिट होने से लेकर डिस्चार्ज तक की हिस्ट्री मांगी है। सोमवार को ही मंत्री आरती राव को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

वहीं, इस केस की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने गुरुवार शाम को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित की थी। इसकी अगुआई DCP हेडक्वार्टर डॉ. अर्पित जैन करेंगे। वह खुद भी MBBS डॉक्टर हैं।

टीम में ACP डॉक्टर कविता, ACP यशवंत, सदर थाने के SHO इंस्पेक्टर सुनील, महिला थाना ईस्ट इंचार्ज नेहा राठी और सेक्टर 40 के CIA इंचार्ज अमित को शामिल किया है।

शरबत जिहाद पर रामदेव बोले- मैंने नाम नहीं लिया थाःरूह अफजा वालों ने खुद समझा, इसका मतलब वे जिहाद कर रहे होंगे



योग गुरू बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद को लेकर दिए अपने पुराने बयान का बचाव किया। रामदेव ने कहा- मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। रूह अफजा वालों ने इसे अपने ऊपर लिया। इसका मतलब वे जिहाद कर रहे होंगे। रामदेव बाबा शुक्रवार को मथुरा पहुंचे थें। उन्होंने आगे कहा कि, हमदर्द जैसी कंपनियां को लगता है कि वे पूरी तरह से इस्लाम को समर्पित हैं। और मस्जिद और मदरसे बना रहे हैं, तो उन्हें खुश होना चाहिए।

यहां बात सनातनियों की है, उन्हें समझना चाहिए कि किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा है और किससे इस्लाम का प्रचार हो रहा है। अब इसको लेकर भी किसी के पेट में दर्द होता है तो होने दो, ये शरबत जिहाद है तो है। योग गुरु रामदेव ने 3 अप्रैल को सोशल मीडिया X पर 10 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में रामदेव बाबा पतंजलि के शरबत का प्रचार करते दिख रहे हैं। वह कह रहे हैं- गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार जहर है। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है। जो शरबत तो देती है, लेकिन शरबत से जो पैसा मिलता है, उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। अगर आप वो शरबत पिएंगे, तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। अगर आप पतंजलि का शरबत पिएंगे, तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा।

बांग्लादेश को भारत की चेतावनीःभारत के मसलों में दखल न दे; अपने यहां अल्पसंख्यकों की रक्षा पर फोकस करे, अपराधी खुले घूम रहे



भारत ने बंगाल हिंसा पर बयानबाजी कर रहे बांग्लादेश से कहा है कि वह भारत के मसलों में दखल देने की बजाय अपने यहां अल्पसंख्यकों की रक्षा पर फोकस करे।

दरअसल, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा था कि भारत को उन अल्पसंख्यक मुस्लिमों की रक्षा करनी चाहिए, जो पिछले हफ्ते बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा से प्रभावित हुए हैं।

इसके साथ ही उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि इस हिंसा को भड़काने में बांग्लादेश का हाथ है।

भारत ने शुक्रवार को इस बयान का कड़ा विरोध किया है। भारत ने कहा कि बांग्लादेश का यह बयान धूर्तता और कपट से भरा है। वह अपने यहां अल्पसंख्यकों के नरसंहार से ध्यान भटकाना चाहता है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पश्चिम बंगाल में हुई घटनाओं को लेकर बांग्लादेश की ओर से की गई टिप्पणियों को हम खारिज करते हैं। बांग्लादेश इस तरह के बयान दे रहा है, जबकि वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले अपराधी आजाद घूम रहे हैं।

ऑल टाइम हाई पर सोनाःआगे और बढ़ सकते हैं दाम, गोल्ड ETF के जरिए करें निवेश; एक साल में दिया 29% तक का रिटर्न



24 न्यूज अपडेट

गोल्ड 85,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का लेवल पार करके 85,207 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। IBJA के अनुसार इस साल अब तक सोने के दाम 19,045 रुपए बढ़ चुके हैं। 31 दिसंबर को सोना 76,162 रुपए पर था, जो अब 85,207 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है।

एक्सपर्ट के अनुसार इस साल के आखिर तक सोना 1.10 लाख रुपए तक जा सकता है। अगर आप भी सोने में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड ETFs में निवेश एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसने बीते 1 साल में 29% तक का रिटर्न दिया है। ऐसे में यहां हम आपको गोल्ड ETF के बारे में बता रहे हैं...

सोने के गिरते-चढ़ते भावों पर बेस्ड होते हैं ETF

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सोने के गिरते-चढ़ते भावों पर बेस्ड होते हैं। एक गोल्ड ETF यूनिट का मतलब है कि 1 ग्राम सोना। वह भी पूरी तरह से प्योर। गोल्ड ETFs की खरीद-बिक्री शेयर की ही तरह BSE और NSE पर की जा सकती है। हालांकि, इसमें आपको सोना नहीं मिलता। आप जब इससे निकलना चाहें तब आपको उस समय के सोने के भाव के बराबर पैसा मिल जाएगा।

संपादकीय : खतरनाक दवाएं

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सीडीएससीओ की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों को पैंतीस दवाओं पर पाबंदी लगाने का निर्देश आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर एक जरूरी कदम है। मगर इससे एक बार फिर यही साफ होता है कि दवा कंपनियां किस तरह आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रही है। गौरतलब है कि सीडीएससीओ ने पैंतीस 'फिक्स्ड डोज काम्बिनेशन' यानी एफडीसी दवाओं के निर्माण, विक्री और वितरण को रोकने का निर्देश दिया है, जिनमें दर्द निवारक, पोषण संबंधी पूरक आहार और मधुमेह रोधी दवाएं शामिल हैं। इस प्रतिबंध का उद्देश्य इन दवाओं की वजह से जन स्वास्थ्य और सुरक्षा के सामने पैदा हो रहे खतरों को रोकना है। मगर सवाल है कि सरकार के संबंधित महकमों के तहत एक व्यापक तंत्र होने के बावजूद ये दवाएं खुले बाजार में कैसे पहुंचती हैं। किसी भी दवा के उत्पादन और उसके बाद बाजार में आकर एक जरूरतमंद उपभोक्ता तक पहुंचने की प्रक्रिया होती है। अगर कुछ दवाएं लंबे समय तक बाजार में बिकती रहती हैं तो उससे उपजे जोखिम के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है ? पिछले वर्ष अगस्त में भी बुखार, सर्दी, एलर्जी और दर्द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सौ छप्पन एफडीसी दवाओं पर पाबंदी लगा दी गई थी। तब भी यह कहा गया था कि ये दवाएं इंसान के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। ऐसे निर्देश अक्सर जारी किए जाते रहे हैं। मगर यह समझना मुश्किल है कि सख्ती के बावजूद फिर से कुछ ऐसी दवाएं खुले बाजार में कैसे पहुंच जाती हैं। दवा कंपनियों के लिए वे कैसे नियम-कायदे तय किए गए हैं, जिसके तहत वे ऐसी दवाओं का उत्पादन करती हैं और उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है, जो इंसानों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती हैं? अगर ऐसी दवाएं बनाने वाली कंपनियां राज्यों के प्राधिकरणों से इसके लिए लाइसेंस मिलने को ढाल बनाती हैं, तो क्या इन कंपनियों के साथ-साथ उन्हें इजाजत देने वाले संबंधित महकमों को भी कठघरे में खड़ा किया जाएगा ? सही है कि सीडीएससीओ ऐसी दवाओं को चिह्नित करती है और उसे प्रतिबंधित करने का फैसला करती है। मगर जितने दिनों तक लोगों की सेहत को खतरे में डालने वाली ऐसी दवाएं बिकती रहती हैं, जरूरतमंद लोग उन दवाओं का सेवन करते हैं, उसका क्या और कितना असर पड़ता होगा ? पैंतीस या एक सौ छप्पन दवाओं पर पाबंदी लगाने की नौबत तभी आई, जब उसे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक पाया गया। अगर किसी बीमारी के इलाज के क्रम में दी जाने वाली दवा को खतरनाक पाया जाता है, तो यह सुनिश्चित कब होता है? जिन दवाओं को जोखिम के दायरे में पाया जाता है, उनके परीक्षण और उसके नतीजों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हुए बिना आम लोगों के लिए उसके उत्पादन, बिक्री या वितरण की इजाजत किस आधार पर दी जाती है? सुरक्षा और प्रभावकारिता के मूल्यांकन के बिना वैसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण के लिए लाइसेंस कैसे जारी कर दिया गया और चिकित्सक उनके सेवन की सलाह किस आधार पर देते हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है? सेहत पर कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव पहले ही जटिल समस्या बने हुए हैं। ऐसे में जन स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाली दवाओं के उत्पादन और बिक्री को लेकर बेहद सख्त नियम-कायदे लागू नहीं किए गए तो इसका गंभीर खमियाजा सबको उठाना पड़ सकता है।

मनमानी के स्कूल

देश में शिक्षा के व्यवसायीकरण के बढ़ते दायरे का विद्रूप कई बार बेहद अफसोसनाक तस्वीर सामने कर देता है। निजी विद्यालयों में मनमानी इस कदर बढ़ती जा रही है कि वे विद्यार्थियों को केवल कमाई का जरिया समझने लगे हैं। ऐसा लगता है कि मुनाफाखोरी में लगे ये विद्यालय इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते कि महंगाई के इस दौर में बच्चों को किसी तरह पाल रहे कुछ माता-पिता कैसे अतिरिक्त शुल्क का बोझ सहेंगे। हालांकि इनमें ज्यादातर शुल्कों का कोई मजबूत आधार नहीं होता है, लेकिन संबंधित सरकारी महकमे अपनी आंखें मूंद कर एक तरह से इसकी अनुमति ही देते हैं। नतीजतन मनमानी बढ़ती जाती है। तकलीफदेह यह है कि शुल्क वसूलने के क्रम में स्कूल प्रबंधन की ओर से कई बार ऐसे तौर-तरीके अपनाए जाते हैं, जो न केवल नियमों के विरुद्ध होते हैं, बल्कि उसके लिए मानवीयता के सारे तकारों को ताक पर रख दिया जाता है। गौरतलब है कि देश की राजधानी के द्वारका इलाके में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में अनधिकृत शुल्क का भुगतान न करने पर कुछ बच्चों को पुस्तकालय में बंद कर दिया गया और उन्हें कक्षाओं में जाने से भी रोक दिया गया। इस तरह के अमानवीय व्यवहार पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सही ही स्कूल प्रबंधन को फटकार लगाई और कहा कि छात्रों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करने वाले ऐसे स्कूल बंद करने लायक हैं। जबकि किसी भी वजह से स्कूलों में बच्चों को कोई भी शारीरिक दंड देने पर सख्त मनाही है और समय-समय पर अदालतें भी इसके खिलाफ निर्देश जारी करती रही हैं। किसी भी तरह के भेदभाव और सार्वजनिक प्रताड़ना से बच्चों को कोमल मन-मस्तिष्क को ठेस पहुंचती है और इससे लगे सदमे का असर लंबे समय तक बना रह सकता है। यह बाल अधिकारों का भी हनन है। दूसरी ओर माता-पिता स्वयं को अपमानित और प्रताड़ित महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों का उत्पीड़न रोकने के लिए सुरक्षा उपाय होने चाहिए। मनमाने तरीके से शुल्क वसूलने के लिए विद्यालय द्वारा किसी भी तरह का भेदभाव हर हाल में अनुचित है। बच्चों को वस्तु समझ कर बर्ताव करने वाले स्कूलों पर सख्ती से लगाम लगाने की जरूरत है।

मेवाड़ की बावड़ियों में समाया ऐतिहासिक गौरव: विश्व धरोहर दिवस पर गोष्ठी में हुआ विरासत संरक्षण का आह्वान

भारतीय इतिहास संकलन समिति उदयपुर व साहित्य संस्थान, राजस्थान विद्यापीठ का संयुक्त आयोजन



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, उदयपुर। विश्व धरोहर दिवस-2025 के अवसर पर शुक्रवार को "आपदा में बावड़ियों का उपयोग" विषय पर एक सारगर्भित गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह गोष्ठी भारतीय इतिहास संकलन समिति, उदयपुर और साहित्य संस्थान, राजस्थान विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुई। कार्यक्रम में शहर के इतिहास के विद्यार्थियों, शोधार्थियों और इतिहास प्रेमियों ने सहभागिता की और मेवाड़ क्षेत्र की ऐतिहासिक बावड़ियों की महत्ता पर प्रकाश डाला। गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए भारतीय इतिहास संकलन समिति के क्षेत्रीय संगठन मंत्री छगनलाल बोहरा ने कहा कि "विरासत का संरक्षण देव पूजन के समान है।" उन्होंने बताया कि राजा-महाराजाओं ने जनता की सुविधा के लिए कुएं, सराय और बावड़ियों का निर्माण कराया। मेवाड़ तो बावड़ियों का गढ़ रहा है कृ यहां मंदिर, महल, हवेलियां और धर्मशालाएं बिना बावड़ियों के बनाई ही नहीं जाती थीं। उन्होंने कहा कि आज की आपदा स्थितियों में भी बावड़ियां पेयजल और सुरक्षा का भरोसेमंद स्रोत बन सकती हैं। सार्वजनिक स्थलों पर बनी बावड़ियां आधुनिक सुविधाओं की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी, श्रेयस्कर और टिकाऊ हैं। समिति के चित्तौड़ प्रांत महामंत्री डॉ. विवेक भटनागर ने गोष्ठी में बताया कि देबारी क्षेत्र में स्थित त्रिमुखी बावड़ी वर्ष 1675 ईस्वी में महाराणा राजसिंह की रानी रामरस दे द्वारा जया बावड़ी के नाम से बनवाई गई थी। यह बावड़ी स्थापत्य की दृष्टि से अद्वितीय है, जिसमें तीन दिशाओं में अलंकृत प्रवेशद्वार हैं, इसी कारण इसे त्रिमुखी बावड़ी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि बावड़ी पर स्थित प्रस्तर लेख में बप्पा रावल से लेकर महाराणा राजसिंह तक के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। प्रशस्ति में मालपुरा विजय, चारूमती का विवाह तथा सर्व ऋतु विलास बाग के निर्माण का वर्णन है। इस लेख को रणछोड़ भट्ट ने लिखा और इसके मुख्य शिल्पी नाथू गौड़ थे। साहित्य संस्थान के निदेशक डॉ. जीवन सिंह खरकवाल ने मध्यकालीन भारत की बावड़ियों के सांस्कृतिक और सामाजिक उपयोग की जानकारी देते हुए बताया कि यह केवल जल स्रोत नहीं थीं, बल्कि सांस्कृतिक केंद्र, धार्मिक अनुष्ठानों के स्थल और सामाजिक मिलन का माध्यम थीं। इन पर गणेशजी, भैरव और ग्रामदेवताओं की स्थापना होती थी और साथ ही रहट प्रणाली के माध्यम से जल निकासी की जाती थी। बावड़ियों पर अंकित शिलालेख न केवल ऐतिहासिक जानकारी देते हैं, बल्कि उन्हें विरासत स्थल भी बनाते हैं।

भारतीय इतिहास संकलन समिति चित्तौड़ प्रांत की महिला मोर्चा प्रभारी डॉ. रेखा महात्मा ने बताया कि महाराणा प्रताप के राजतिलक स्थल कृ नीलकंठ महादेव की छतरी वाली बावड़ी संरक्षण के अभाव में आज जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। उन्होंने कहा कि यह स्थान न केवल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि इतिहास में भी इसकी विशिष्ट पहचान है।

कार्यक्रम का संचालन इतिहास संकलन समिति उदयपुर के महामंत्री चैन शंकर दशोर ने किया। गोष्ठी में डॉ. मनीष श्रीमाली, दीपक शर्मा, धीरज वैष्णव सहित कई इतिहास प्रेमी, शोधार्थी एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के माध्यम से विशेषज्ञों ने यह स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक बावड़ियों का संरक्षण केवल भूतकाल की रक्षा नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा है। इन धरोहर स्थलों को संरक्षित कर हम न केवल पर्यावरणीय संकटों से लड़ सकते हैं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी अक्षुण्ण रख सकते हैं।

हाउसिंग बोर्ड ऑफिस में शराब-नॉनवेज पार्टी का पर्दाफाश, कलेक्टर ने दो कर्मचारियों को थमाया नोटिस



24 न्यूज अपडेट

भीलवाड़ा | राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का भीलवाड़ा ऑफिस बुधवार रात एक 'पार्टी स्पॉट' में तब्दील हो गया। यहां अकाउंट सेक्शन के एक कमरे में शराब और नॉनवेज पार्टी चल रही थी, जिसमें रिटायर्ड अफसर से लेकर जूनियर स्टाफ तक शामिल था। मामला मीडिया में आने के बाद जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने सख्ती दिखाई और जवाब-तलब के आदेश दिए। साथ ही एक जूनियर अकाउंटेंट और एक रिटायर्ड कर्मचारी को नोटिस जारी किया गया है। पार्टी में मचा था हुड़दंग, मीडिया देखकर हुए फरार बुधवार रात ऑफिस के एक कमरे में शराब की बोतलें, ग्लास, वेफर्स और चिप्स खुले में रखे थे। पास बने किचन में नॉनवेज के बर्तन पकने की हालत में थे। मीडिया के कैमरे पहुंचते ही कुछ कर्मचारी भाग निकले। इस पूरी पार्टी में 31 मार्च को रिटायर हुए एक एक्सईएन भी शामिल थे, जो मौके से खिसक लिए। हर कमरे की लाइट ऑन, जैसे कोई फैमिली फंक्शन हो ऑफिस में हर कमरे की लाइट और पंखे चालू थे। माहौल देखकर लगता था मानो कोई पारिवारिक कार्यक्रम हो रहा हो। लेकिन मामला था सरकारी दफ्तर में रात को अवैध पार्टी का। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर संधू ने उदयपुर हाउसिंग बोर्ड के एक्सईएन अजय मेहता को भीलवाड़ा भेजा। मेहता ने मौके पर जाकर पूरा विवरण जुटाया और उच्चाधिकारियों को अवगत कराया।

अब होगी सख्त कार्रवाई

हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि आगे से इस तरह की घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। पूरे विभाग में घटना को लेकर तनाव और नाराजगी का माहौल है।

नेहरू हॉस्टल के पीछे सूखे इलाके में लगी भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया काबू

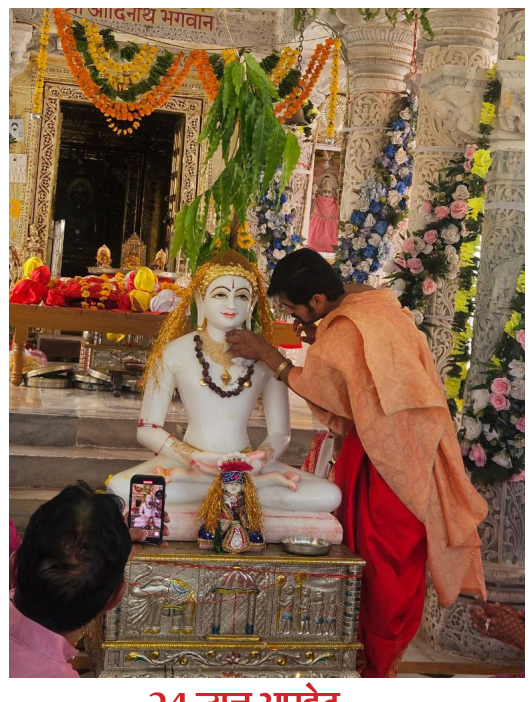


24 न्यूज अपडेट

उदयपुर में सेवाश्रम पुलिया के पास गुरुवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब नेहरू हॉस्टल के पीछे स्थित सूखे मैदान में अचानक आग भड़क उठी। तेज गर्मी और मैदान में फैली सूखी पत्तियों व झाड़ियों ने आग को तेजी से फैलने में मदद की, जिससे क्षेत्र में धुएं का गुबार फैल गया और स्थानीय नागरिकों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें सक्रिय हुईं और लगभग चार दमकल वाहनों को मौके पर रवाना किया गया। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। गनीमत रही कि आग रिहायशी क्षेत्र या हॉस्टल की इमारत तक नहीं पहुंची, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। दमकल अधिकारियों के अनुसार, आग लगने की वजह अत्यधिक गर्मी और इलाके में फैले सूखे जैविक कचरे को माना जा रहा है। आग के दौरान कई फुट ऊंची लपटें उठीं, जिन्हें नियंत्रण में लाने के लिए दमकलकर्मियों ने समन्वय के साथ तेजी से काम किया। घटना के बाद आसपास के नागरिकों ने राहत की सांस ली और दमकल विभाग की तत्परता की सराहना की। प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सूखे कचरे को खुले में न जलाएं और आग लगने की स्थिति में तुरंत सहायता नंबर 101 पर सूचना दें।

पार्श्वनाथ प्रभु का च्यवन, जन्म व दीक्षा कल्याणक महोत्सव सम्पन्न

सविना तीर्थ में 19 अप्रैल को होगा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर 18 अप्रैल। श्री जैन श्वेताम्बर महासभा के तत्तवावधान में तपोगच्छ की उद्गम स्थली आयड़ तीर्थ में शुक्रवार को तपस्वीरत्न आचार्य भगवंत पद्मभूषणरत्न सुरिश्वर महाराज, साध्वी भगवंत कीर्तिरेखा महाराज आदि ठाणा की निश्रा में अंजनशलाक विधान का आयोजन हुआ।

महासभा के महामंत्री कुलदीप नाहर ने बताया कि आयड़ तीर्थ में सुबह 7 बजे पार्श्वनाथ प्रभु के उपर च्यवन कल्याणक, जन्म कल्याणक तथा संसारी जीवन, राज्य अवस्था व दीक्षा कल्याणक का संगीतमय विधान किया गया। साथ ही आरती, मंगल दीपक, सुबह सर्व औषधी से महाअभिषेक एवं अष्ट प्रकार की पूजा-अर्चना की गई। रात्रि 3 बजे अंजनशलाका विधान सम्पन्न हुआ। नाहर ने बताया कि 19 अप्रैल शनिवार को प्रातः 8 बजे सविना स्थित पाश्वनाथ तीर्थ में प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा सम्पन्न होगी।

इस अवसर पर आचार्य भगवंत पद्मभूषणरत्न सुरिश्वर महाराज ने कहा कि त्याग का राग हृदय में लेकर प्रभु अवतरित होते है। संसार कारागृह जानकार उसका त्याग करने परमात्मा वर्ष भ रतक वर्षीदान देते है। जगत के दुःख एवं दरिद्रता मिटाने के लिए प्रभु ने संयम की राह ग्रहण की। नव लोकांतिक देवों क निवेदन से तथा अपना शासन स्थापना तीर्थ प्रवर्तन का अवसर जानकर प्रभु संसार से विरक्त बनकर के दीक्षा लेते है। साधना काल में ध्यान बल से भावनाओं से भावित होकर कर्मों का क्षय करते है। तत्पश्चात प्रभु ने सांधना का समय कर्मों का नाश करते केवलज्ञान उपार्जित किया। जिसे केवलज्ञान कल्याणक कहते है।

दीक्षा कल्याणक महोत्सव के पश्चात श्री जैन श्वेताम्बर महासभा उदयपुर द्वारा नवकारसी का आयोजन किया गया। प्रभु आदिनाथ को भराना एवं विराजमान जुठमल-रेशमी देवी बाफना बालोतरा-जोधपुर द्वारा किया गया।

इस अवसर पर कुलदीप नाहर, सतीश कच्छारा, राजेन्द्र जवेरिया, चतर पामेचा, राजेश जावरिया, चन्द्र सिंह बोल्या, दिनेश भण्डारी, अशोक जैन, दिनेश बापना, कुलदीप मेहता, नरेन्द्र शाह, चिमनलाल गांधी, गोवर्धन सिंह बोल्या आदि मौजूद रहे।



पेसा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उच्च स्तरीय दल ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, जयपुर। राजस्थान में पेसा कानून एवं वनाधिकार अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने तथा जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास हेतु एक उच्च स्तरीय दल ने राज्य सरकार को कई ठोस सुझाव प्रस्तुत किए हैं। इस दल में राजस्थान के जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय अधिकारी गिरीश कुबेर, अखिल भारतीय हितरक्षा प्रमुख संजय कुलकर्णी, राजस्थान वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष डॉ. थावरचंद डामोर, प्रांत संगठन मंत्री जगदीश कुलमी तथा क्षेत्रीय हितरक्षा प्रमुख विमल शाह शामिल रहे। इस प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में संविधान की पाँचवीं अनुसूची एवं संसद द्वारा पारित विभिन्न जनकल्याणकारी कानूनों को धरातल पर लाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कीः मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठन की सिफारिश दल ने सुझाव दिया कि राज्य में वनाधिकार अधिनियम एवं पेसा कानून, 1996 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समर्पित टास्क फोर्स का गठन किया जाए, जो विभिन्न विभागों के समन्वय से कार्य योजना तैयार कर उसे लागू कर सके। पेसा एक केंद्रीय कानून है, इसके राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश के अनुभवों का अध्ययन कर राजस्थान में भी आवश्यक कानूनी संशोधन किए जाने पर विचार किया गया।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस तीन दिन के जयपुर दौरे पर: आमेर महल में होगा राजसी स्वागत, पत्नी उषा चिलुकुरी के साथ आएंगे



24 न्यूज अपडेट

जयपुर | अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड (जेडी) वेंस अपनी भारतीय मूल की पत्नी उषा चिलुकुरी वेंस के साथ 21 अप्रैल को जयपुर पहुंचेंगे। वे तीन दिन तक गुलाबी नगरी में रहेंगे और 23 अप्रैल को आगरा रवाना होंगे, जहां वे ताजमहल का दीदार करेंगे। इस दौरान वेंस दंपत्ति आमेर महल, जंतर-मंतर और अन्य हेरिटेज साइट्स का भ्रमण करेंगे। उनकी यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक-चौबंद की गई है।

रामबाग पैलेस में होगा ठहराव

वेंस जयपुर में विश्वविख्यात रामबाग पैलेस में ठहरेंगे, जिसे "ज्वेल ऑफ जयपुर" कहा जाता है। यह ऐतिहासिक पैलेस कभी जयपुर राजपरिवार का निवास था और अब ताज ग्रुप के तहत एक लग्जरी होटल है। यहीं कभी महारानी गायत्री देवी भी रहा करती थीं। रामबाग पैलेस की भव्यता और राजसी शैली विदेशी मेहमानों को खासा आकर्षित करती है।

आमेर महल में होगा पारंपरिक स्वागत

22 अप्रैल को वेंस दंपत्ति आमेर महल का दौरा करेंगे। यहां उनका हाथियों 'चंदा' और 'पुष्पा' के जरिए पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत होगा। इन हाथियों को चांदी के होदे और पारंपरिक आभूषणों से सजाया जाएगा। यह परंपरा साल 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के स्वागत के समय भी निभाई गई थी।

सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी

जयपुर एयरपोर्ट से लेकर आमेर और रामबाग पैलेस तक सभी प्रमुख लोकेशनों पर सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी निगरानी है। आमेर किले के बंद गेटों को भी सुरक्षा जांच के लिए खुलवाया गया है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के साथ राजस्थान पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम भी अलर्ट पर हैं। अमेरिकी वायुसेना के विमान भी पहले से जयपुर पहुंच चुके हैं।

वेंस का संभावित कार्यक्रम: 21 अप्रैल: जयपुर आगमन, रामबाग पैलेस में ठहराव, विश्राम व अनौपचारिक बैठकें

22 अप्रैल: आमेर महल और जंतर-मंतर भ्रमण, स्थानीय शिल्पकला और संस्कृति का अनुभव

23 अप्रैल: सुबह आगरा के लिए प्रस्थान, ताजमहल भ्रमण

पीएम मोदी भी जयपुर आ सकते हैं

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरे के दौरान जयपुर पहुंच सकते हैं और वेंस से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले पीएम मोदी और वेंस की एक मुलाकात पेरिस में पारिवारिक भोज के दौरान हो चुकी है। अमेरिका-भारत संबंधों की नई परछाईं जेडी वेंस का दौरा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। वे भारतीय संस्कृति, विरासत और सामरिक साझेदारी को और गहराई से समझना चाहते हैं।

अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल का प्रहरी छोटाराम, अंदर पहुंचाता था छोटी-छोटी सिम और मोबाइल, आईजी कारागार ने किया बर्खास्त



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, अजमेर। अजमेर की उच्च सुरक्षा जेल में गैंगस्टरों तक मोबाइल सिम पहुंचाने की गंभीर साजिश में लिप्त जेल प्रहरी छोटाराम विश्नोई को शुक्रवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। आरोपी छोटाराम को 24 फरवरी को ड्यूटी के दौरान एक विशेष तलाशी अभियान में पकड़ा गया था, जब वह अपनी वर्दी में लगे व्हिसिल में काली टेप से लपेट कर तीन मोबाइल सिम कार्ड भीतर ले जाने की कोशिश कर रहा था। उप महानिरीक्षक (कारागार रेंज जोधपुर) दिनेश कुमार मीणा ने इस गंभीर सुरक्षा उल्लंघन को देखते हुए छोटाराम को तुरंत प्रभाव से राज्य सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए। बर्खास्त हुआ जेल प्रहरी फलोदी के कृष्ण नगर का निवासी है और बेल्ट नंबर 5093 के तहत अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में कार्यरत था।

कैसे हुआ खुलासा?

24 फरवरी की शाम 6 बजे से रात 2 बजे तक की ड्यूटी पर आए छोटाराम की तलाशी वहां तैनात आरएसी कांस्टेबल अमरचंद ने ली। तलाशी के दौरान उसकी वर्दी पर लगी सीटी (व्हिसिल) में काले रंग की टेप से लपेटे हुए तीन मोबाइल सिम कार्ड बरामद हुए—जिनमें दो जियो और एक एयरटेल की सिम शामिल थी। यह सिम संभवतः जेल में बंद गैंगस्टरों तक पहुंचाई जानी थी। घटना के तुरंत बाद अजमेर सिविल लाइन थाने में छोटाराम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई और उसे राजस्थान कारागार अधिनियम संशोधन के तहत गिरफ्तार भी कर लिया गया। 27 फरवरी को उसे निलंबित कर विभागीय जांच प्रारंभ की गई थी।

जांच में क्या सामने आया?

विभागीय जांच में यह स्पष्ट हुआ कि छोटाराम जेल के भीतर गैंगस्टरों की मदद कर रहा था और प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने की साजिश में लिप्त था। इन तथ्यों के आधार पर डीआईजी दिनेश मीणा ने कठोर कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रहरी को सेवा से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' अभियान का डिजिटल आगाज, मदन राठौड़ बोले- बार-बार चुनाव आर्थिक बर्बादी



24 न्यूज अपडेट

जयपुरः 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' अभियान को भाजपा जनअभियान बनाने की दिशा में काम कर रही है. यही वजह है कि जनता के समर्थन के लिए प्रदेश भाजपा ने डिजिटल संस्करण शुरू किया है. शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसका लोकार्पण किया. इस दौरान राठौड़ ने कहा कि देश की स्थिरता और विकास के लिए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' आवश्यक पहल है. ये जनभागीदारी से ही साकार होगा. इस मौके पर मदन राठौड़ ने भी क्यूआर कोड स्कैन कर अभियान का समर्थन किया.

आर्थिक संसाधनों की भारी बर्बादीः मदन राठौड़ ने कहा कि वर्तमान में बार-बार होने वाले चुनावों से न केवल आर्थिक संसाधनों की भारी बर्बादी होती है, बल्कि बार-बार लागू होने वाली आचार संहिता के कारण जनकल्याणकारी योजनाएं ठप हो जाती हैं. सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासनिक तंत्र चुनावों में व्यस्त हो जाता है, जिससे विकास कार्य रुक जाते हैं. जनता को इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ता है. उन्होंने बताया कि वर्ष 1971 के बाद जब देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग-अलग समय पर होने लगे, तबसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निरंतरता बाधित हुई है. अनुच्छेद 356 का कई बार दुरुपयोग कर राज्य सरकारों को गिराया गया, जिससे संघीय ढांचे को क्षति पहुंची है. राठौड़ ने बार-बार चुनावों पर चिंता जताते हुए कहा कि देश में हर कुछ महीनों में कहीं न कहीं चुनाव चलते रहते हैं. इससे केंद्र और राज्य सरकारों का ध्यान विकास कार्यों से हटकर केवल चुनावी रणनीतियों पर केंद्रित हो जाता है. पुलिस, प्रशासन, शिक्षण संस्थान, यहां तक कि आम नागरिकों की दिनचर्या पर भी इसका असर पड़ता है.

राजनीतिक दल की जिम्मेदारी नहीं: 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के लाभ बताते हुए राठौड़ ने कहा कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं, तो सरकारें पूरे पांच वर्षों तक स्थिरता के साथ कार्य कर पाएंगी. इससे नीति निर्माण में सुगमता आएगी. विकास योजनाओं की गति बढ़ेगी और संसाधनों की व्यापक बचत होगी. यह बचाए गए संसाधन शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और बुनियादी संरचना में लगाए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि यह सुधार केवल सरकार या किसी राजनीतिक दल की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह पूरे देश का सामूहिक दायित्व है.

बेटे का कफ़न लिए कलेक्टर दरबार में पहुँचा पिता, सड़क के किनारे दफनाने को मजबूर



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, जोधपुर। मानवता जब तिरस्कार का शिकार हो जाए, तो केवल इंसान ही नहीं, इंसानियत भी बिलखती है। ऐसा ही कुछ हुआ जोधपुर में, जब विक्रम सांसी अपने नन्हे बेटे के लिए कफ़न संभाले, नम आँखों और टूटे दिल के साथ जिला कलेक्टर के सामने पहुँचा कृ एक ही सवाल लिए हुए: "क्या हमारे मासूम बच्चों को मिट्टी देने के लिए दो गज जमीन भी नसीब नहीं?" रातानाडा क्षेत्र में दशकों से शांतिपूर्वक बसे सांसी समाज के सामने अब एक ऐसा संकट आ खड़ा हुआ है, जिसे सुनकर संवेदनहीन से संवेदनशील भी हो उठे। श्मशान की मांग कोई विलास नहीं, यह एक बुनियादी हक़ है, एक समाज की अंतिम मर्यादा का प्रश्न है। लेकिन इस समाज को अपने बच्चों तक को खुले मैदानों, सड़कों के किनारे, जानवरों के डर और इंसानों की उपेक्षा के बीच दफनाना पड़ रहा है।

हवा में उड़ गई मानव गरिमा

जहां कभी एयरफोर्स चौकी के पीछे शांत स्थान पर बच्चों को दफनाया जाता था, वहां अब प्रतिबंध है। ऐसे में कोई विकल्प न होने पर विक्रम सांसी अपने दिवंगत पुत्र की निर्जीव देह को लेकर पूरे शहर में जगह खोजता रहा... पर हर दरवाज़ा बंद मिला। अंततः सड़क के किनारे बच्चे को दफनाया गया और उसी पीड़ा के साथ वह कफ़न उठाए हुए, खुद को संभालता हुआ, थककर, टूटा हुआ, अपने पूरे समाज के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुँचा। एक पिता का दुख नहीं, पूरे समाज की वेदना है सांसी समाज का कहना है कि यह पीड़ा केवल विक्रम की नहीं, हर उस मां-बाप की है, जो अपने मासूम बच्चों को सम्मानजनक अंतिम विदाई तक नहीं दे पा रहे। यह दर्द है उस उपेक्षा का, जो वर्षों से समाज को केवल वोट बैंक समझती रही। वे कहते हैं,

"हमें मुख्यधारा में लाने की बातें तो बहुत हुईं, पर दो गज ज़मीन तक न मिल सकी!"

कलेक्टर से दो स्पष्ट मांगें

पाबूपुरा के पास स्थित बिजलीघर श्मशान भूमि का एक भाग स्थायी रूप से बाल शवों के दफन हेतु आवंटित किया जाए। एयरफोर्स पुलिस चौकी के पीछे पूर्व में प्रयुक्त स्थल को पुनः दफन स्थली के रूप में स्वीकृति दी जाए, क्योंकि यह बस्ती से पर्याप्त दूरी पर है।

JEE MAIN 2025: फिर हुई फाइनल Answer Key जारी, बदले गए 11 प्रश्न के उत्तर



24 न्यूज अपडेट

कोटा. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से शुक्रवार दोपहर जेईई-मेन अप्रैल सेशन की रिवाइज्ड फाइनल answer key जारी कर दी गई. इससे पहले गुरुवार को जेईई-मेन अप्रैल सेशन की आंसर-की जारी की गई थी, जिसे एक घंटे बाद ही वापस ले लिया गया था. अब दोबारा जारी की गई रिवाइज्ड फाइनल आंसर-की में भी 11 सवालों के जवाबों में बदलाव किया गया है. इसमें सबसे ज्यादा फिजिक्स में 6, मैथ्स में 3 और 2 केमेस्ट्री के सवालों के जवाबों में बदलाव किए गए हैं. इनमें सबसे अधिक 5 सवालों के जवाब 3 अप्रैल को बदले गए, जिसमें 4 सवाल सुबह व एक सवाल शाम की शिफ्ट से था.

रिवाइज्ड फाइनल आंसर की के अध्ययन के आधार पर निजी कोचिंग के निदेशक डॉ.बृजेश माहेश्वरी ने बताया कि रिवाइज्ड फाइनल आंसर-की में 2 सवालों के जवाब ऐसे हैं, जो 17 अप्रैल को जारी की गई फाइनल आंसर-की में बदले गए थे, लेकिन अब उन्हें वापस ले लिया गया है. इसमें 3 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में फिजिक्स और 4 अप्रैल को इवनिंग शिफ्ट में फिजिक्स के सवाल के जवाब में 17 अप्रैल को जारी की गई फाइनल आंसर-की में करेक्शन किया गया था, जिसे रिवाइज्ड फाइनल आंसर-की में वापस ले लिया गया.

फिजिक्स में इन तीन प्रश्न में बदलाव : एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि फिजिक्स के तीन प्रश्नों पर आपत्तियां जताई थी. फाइनल उत्तर तालिकाओं के अनुसार इन तीनों ही आपत्तियां को स्वीकार कर लिया गया है. इन आपत्तियां स्वीकार करने के बाद दो प्रश्नों के उत्तर बदलाव कर दिए गए हैं. एक प्रश्न ड्रॉप कर दिया गया है, फिजिक्स के दिन तीन प्रश्नों को बदल गया है, उनमें एटॉमिक स्ट्रक्चर की परमाणु क्रमांक की गणना में प्रश्न बदले है. इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी तुल्य प्रतिरोध की गणना में चारों विकल्पों में से कोई विकल्प ठीक नहीं था. वहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी में दिए गए परिपथ में अमीटर पाठ्यांक की गणना में बदलाव किया है. इन सवालों के जवाब बदले -

2 अप्रैल को सुबह की शिफ्ट में मैथ्स के जवाब में बदलाव

3 अप्रैल को सुबह की शिफ्ट के फिजिक्स के सवाल को ड्रॉप किया

3 अप्रैल सुबह की शिफ्ट में फिजिक्स व कैमेस्ट्री के जवाब बदले

3 अप्रैल को शाम की शिफ्ट मैथ्य के दो जवाब सही माने

4 अप्रैल को सुबह की शिफ्ट में फिजिक्स के दो सवाल में विकल्प सही

4 अप्रैल को शाम की शिफ्ट में फिजिक्स के जवाब में बदलाव

7 अप्रैल को सुबह की शिफ्ट में मैथ्स व फिजिक्स के जवाब बदले

8 अप्रैल को शाम की शिफ्ट में कैमेस्ट्री के जवाब में बदलाव

चपरासी-भर्ती के लिए PhD कर चुके युवाओं ने भरा फॉर्म:53 हजार 749 पदों पर 18.50 लाख से ज्यादा आवेदन आए; सितंबर में होगी परीक्षा



24 न्यूज अपडेट

राजस्थान में फोर्थ क्लास (चपरासी) के 53 हजार 749 पदों पर भर्ती के लिए अब तक 18 लाख 50 हजार से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है। हर एक पद के लिए करीब 35 आवेदन आए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें पीएचडी कर चुके युवाओं ने फॉर्म भरा है। जबकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित इस भर्ती परीक्षा के लिए योग्यता महज 10वीं पास है।

बोर्ड के सचिव डॉ. भागचंद बधाल ने बताया- इस भर्ती में न सिर्फ दसवीं पास बल्कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट कर चुके उम्मीदवारों ने भी आवेदन किया है। फिलहाल 19 अप्रैल तक आवेदन की प्रक्रिया जारी रहेगी। ऐसे में फोर्थ क्लास भर्ती में आवेदन की संख्या 19 लाख को पार कर सकती है। जो बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली सबसे बड़ी भर्ती होगी।

आवेदन करने की लास्ट डेट बढ़ाने की मांग

फोर्थ क्लास भर्ती को लेकर सोशल मीडिया पर आवेदन की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। युवाओं का कहना है कि फिलहाल कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट में तकनीकी समस्या आ रही है। फॉर्म भरते वक्त ओटीपी नहीं आ रहा है। इसकी वजह से बड़ी संख्या में युवा आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बोर्ड आवेदन की अंतिम तारीख कम से कम 7 दिन आगे बढ़ाए।

सितंबर में होगी कंप्यूटर-टैबलेट आधारित परीक्षा

राजस्थान में भजनलाल सरकार के गठन के बाद यह सबसे बड़ी भर्ती है। 53,749 पदों में से गैर-अनुसूचित क्षेत्र में 48 हजार 199 और अनुसूचित क्षेत्र में 5550 पद आरक्षित हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख के बाद अभ्यर्थियों को फॉर्म करेक्शन का वक्त दिया जाएगा।

एग्जाम 18 से 21 सितंबर के बीच होगा। यह कंप्यूटर या टैबलेट आधारित होगा। एग्जाम में दोगुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया जाएगा। उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा।

जोधपुर में वक्फ संशोधन कानून को लेकर विरोध:मुस्लिम समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट से कानून रद्द करने की मांग



24 न्यूज अपडेट

जोधपुर में केंद्र सरकार की ओर लागू किए गए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य मौलाना फैयाज अहमद रिजवी की उपस्थिति में लखारा बाजार स्थित मस्जिद के बाहर समाज के लोग उपस्थित हुए और उन्होंने कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा- इस वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि हमारे निजी मामलों में दखल देने वाले इस कानून को खारिज करें जो एक समुदाय विशेष को बार-बार टारगेट बनाकर काम किया जा रहा है उस पर भी अंकुश लगे। इस मौके पर मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट से रद्द करने की मांग की। कहा कि इसमें एक ही समाज को टारगेट किया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। हाथों में तख्तियां लेकर आए लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से ही अब उन्हें इस कानून को लेकर उम्मीद है।

रेवेन्यू बोर्ड की लॉक आलमारी से फाइल गुम:चेयरमैन के आदेश पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने कराई FIR



24 न्यूज अपडेट

अजमेर के राजस्व मंडल की लॉक की गई गई अलमारी से एक फाइल गुम होने का मामला सामने आया है। राजस्व मंडल अध्यक्ष के निर्देश पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

न्याय प्रशासन शाखा के सहायक प्रशासनिक अधिकारी फूलचन्द सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि राजस्व मण्डल की न्याय शाखा में कार्यरत प्रमोद जिलोवा व मंगलचंद मीणा की ओर से 7 अप्रैल 2025 को अवगत कराया गया कि न्यायिक पत्रावली जयपुर उनवान रियल्टी बनाम प्रभाती की सुनवाई 3 अप्रैल को हुई और इसके बाद पुनः सैल में प्राप्त हुई, जिसे अलमारी में रख कर ताला लगा दिया गया। इस मामले में 7 अप्रैल 2025 को आगामी सुनवाई तारीख थी। इस पर 7 अप्रैल को अलमारी खोलने पर अलमारी में पत्रावली नहीं मिली इसके बाद राजस्व मण्डल राजस्थान के अध्यक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए गए। रिपोर्ट में बताया कि 3 अप्रैल 2025 को शाम 6 बजे से 7 अप्रैल 2025 तक की CCTV फुटेज भी कम्प्युटर शाखा द्वारा सुरक्षित रखी गई हैं। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच सुवालाल ASI को सौंपी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

इको सेंसिटिव जोन बना ''काली कमाई का कॉमर्शियल जोन;; करोड़ों के रिसोर्ट बनते हैं तब आंख मूंद लेते हैं अफसर,,,,अचानक उपरी आदेश मिलते ही पहुंच जाते हैं सीज करने!!!



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, उदयपुर। उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) की कार्रवाइयां अब उसे ही सवालों के घेरे में ला रही है। इको सेंसिटिव जोन में निर्माण पर रोक के साफ आदेश हैं लेकिन निर्माण हो जाते हैं। करोड़ों के निर्माण हो जाते हैं। पूरे के पूरे पहाड़ कट जाते हैं। लेकिन जब निर्माण हो रहे होते हैं, यूडीए के अफसर आंख बंद करके ना जाने कौनसे हरे-हरे आर्थिक सपने देखने लग जाते हैं। जब जमीन पर मंजर बदल जाते हैं। करोड़ों के कंस्ट्रक्शन हो चुके होते हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी से लेकर गैर कानूनी गतिविधियां तक धड़ल्ले से चलने लगती है तब एक दिन अचानक यही अफसर जागते हैं और कार्रवाई करके वाहवाही लूटने लग जाते हैं। जबकि इन अफसरों का बेसिक काम ही ऐसे निर्माण को रोकना है। यह महकमा बना ही इसलिए है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इनकी जानकारी के बिना इको सेंसिटिव जोन में एक पत्ता भी हिल जाए। अवैध निर्माण के लिए कोई छोटा सा कदम भी उठा ले। लेकिन यहां पैसा, पावर, राजनीतिक व प्रशासनिक पैतरेबाजियों से लगाकर भू माफियाओं के अपवित्र गठबंधन तक सब कुछ खुल्लम खुल्ला चल रहा है। अब तो जनता कहने लगी है कि जब यह खेल बिगड़ जाता है। आर्थिक दरिया सूखने लगता है तब अचानक कार्रवाई हो जाती है। सवाल ये है कि कार्रवाई नही करने वाले सरकारी नुमाइंदों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए!! वे वेतन किस बात का ले रहे हैं??? आज सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के इको सेंसिटिव जोन में अवैध रूप से संचालित हो रहे एलपीके क्लब एंड रिसोर्ट को सीज किया गया है। कार्रवाई यूडीए आयुक्त राहुल जैन के निर्देशन में की गई। रिसोर्ट बिना किसी वैधानिक स्वीकृति, रूपांतरण अथवा भू-उपयोग परिवर्तन के बनाया गया था। बड़ा सवाल उठा कि यदि स्वीकृति नहीं थी तो यह बन कैसे गया। इतना बड़ा निर्माण क्या बिना किसी की जेब गर्म हुए हो गया, यह संभव ही नहीं है। प्राधिकरण की जांच में सामने आया बता रहे हैं कि राजस्व ग्राम उपली बड़ी के आराजी संख्या 3436/19 और 3428/18 में स्थित रिसोर्ट सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के इको सेंसिटिव जोन की सीमा में आता है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित इको सेंसिटिव मॉनिटरिंग कमेटी की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता। अब सवाल उठता है कि मॉनिटरिंग कमेटी क्या कर रही है। कुछ किलोमीटर का एरिया भी नहीं संभाला जा रहा है तो उसके होने का औचित्य ही क्या है। यूडीए तहसीलदार डॉ. अभिनव शर्मा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान रिसोर्ट को पूर्णतः सील कर दिया गया। मौके पर यूडीए पटवारी सूरपाल सिंह सोलंकी एवं दीपक जोशी भी उपस्थित रहे।

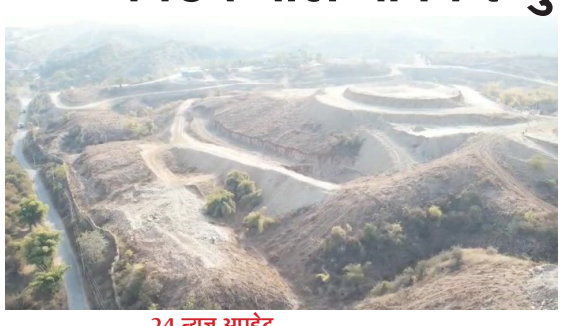
सरकारी दफ्तर के कैमरों की रिकॉर्डिंग देने में अफसर को क्यों लग रहे हैं करंट के झटके!!! जनता से छिपा रहे जनता के पैसों से लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग!!!



24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, उदयपुर। सरकारी दफ्तरों में लगने वाले सीसीटीवी कैमरे पारदर्शिता, निगरानी और जवाबदेही का प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन जब जनता इन्हीं कैमरों की रिकॉर्डिंग मांगती है और जवाब में तकनीकी बहानों की आड़ लेकर सूचनाएं छिपाई जाती हैं, तो पूरा सिस्टम संदेह के घेरे में आ जाता है। सूचना के अधिकार (RTI) एक्टिविस्ट और पत्रकार जयंवत भैरविया द्वारा लगाई गई श्रृंखलाबद्ध आरटीआई आवेदनों के जवाब में जो तथ्य सामने आए हैं, वे न सिर्फ अफसरशाही की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि कैसे जनता के पैसे से खरीदी गई पारदर्शिता, अब खुद जनता से ही छुपाई जा रही है। जबकि होना यह चाहिए कि सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग ऑनलाइन कर दी जाए ताकि जनता को रीयल टाइम पता चल सके कि सरकारी ऑफिसों में उनके पैसों से तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी कितना काम कर रहे हैं। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (AVVNL) के वृत्त कार्यालय में कार्यरत XEN आई एम मंसूरी के कार्यालय में लगे कैमरों को लेकर मई 2024 से दिसंबर 2024 तक भैरविया ने सात आरटीआई लगाई, जिनमें रिकॉर्डिंग, कैमरे लगाने वाले ठेकेदार, मरम्मत की प्रक्रिया, तकनीकी रिपोर्ट, और जवाबदेही तय करने जैसी सूचनाएं मांगी गई थीं। लेकिन जवाबों में बार-बार यह कहा गया कि डेटा संधारित नहीं है, डिवाइस (POE) खराब है, हार्ड डिस्क में खराबी की आशंका है, तकनीकी जांच मोबाइल पर हुई है, नोटशीट नहीं चलाई गई — इन उत्तरों ने पारदर्शिता के पूरे विचार पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। 15 मई 2024 को जब भैरविया ने 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 तक की CCTV रिकॉर्डिंग मांगी, तो जवाब मिला कि रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है। 15 जुलाई को भैरविया ने वर्क ऑर्डर, भुगतान, फर्म का नाम और मेंटेनेंस से जुड़ी जानकारी मांगी तो सिर्फ इतना बताया गया कि नीलकमल इंफोटेक नामक फर्म को 97190 रुपये भुगतान किए गए हैं, लेकिन तकनीकी रिपोर्ट और मेंटेनेंस से जुड़ी बाकी जानकारी "उपलब्ध नहीं" बताई गई। 13 अगस्त को पूछे गए सवालों में यह जानना चाहा गया कि CCTV खराब होने पर किसे और कैसे बुलाया गया, तो बताया गया कि सिर्फ मोबाइल पर कॉल किया गया, कोई नोटशीट नहीं चली और सूचना संधारित नहीं है। इसके बाद 16 अक्टूबर, 15 नवंबर, 6 दिसंबर और 27 दिसंबर को की गई आरटीआई में जब रिकॉर्डिंग, मरम्मत की प्रक्रिया, जिम्मेदार अधिकारी और पत्राचार के बारे में पूछा गया, तो या तो बताया गया कि रिकॉर्डिंग संधारित नहीं है, या फिर डिवाइस खराब है, या अंततः यह कह दिया गया कि कैमरे तो खराब ही नहीं थे, वे कार्यरत थे, जबकि पहले उन्हें POE और हार्डडिस्क खराब बताकर डेटा न देने का कारण बताया जा चुका था। जबकि होना यह चाहिए कि ऐसी स्थिति में न केवल रिकॉर्डिंग की नियमित बैकअप प्रणाली हो, बल्कि इसकी सुलभता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम जनता के लिए होनी चाहिए। पारदर्शिता का यही सही अर्थ है। भैरविया की आरटीआई में यह भी पूछा गया था कि कैमरे जानबूझकर बंद रखे गए हैं क्या, और अगर हां, तो जिम्मेदार अधिकारी कौन है और उस पर क्या कार्रवाई की गई — लेकिन जवाब में सिर्फ इतना बताया गया कि ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है और कोई पत्राचार भी नहीं किया गया है। यह सब उस स्थिति में हो रहा है जब राजस्थान सरकार खुद स्पष्ट निर्देश दे चुकी है कि CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग आरटीआई में उपलब्ध कराई जाए। 16 नवंबर 2023 को स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जयपुर के महानिरीक्षक शरत कविराज द्वारा सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किए गए कि आपराधिक मामलों, परिवादों और RTI आवेदनों पर CCTV फुटेज उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। राज्य सूचना आयोग ने भी आरुषि जैन बनाम एएसपी उदयपुर (18 सितंबर 2023), लक्ष्मी देवी बनाम एएसपी (18 नवंबर 2024), शारदा देवी बनाम एएसपी (6 सितंबर 2024) जैसे मामलों में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि CCTV कैमरे पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए होते हैं, न कि गोपनीयता बनाए रखने के लिए, और इन्हें RTI Act की धारा 8(1) में छूट देना विधिसम्मत नहीं है। खुद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने भी RTI आवेदनों में CCTV फुटेज देने के आदेश दिए हैं। जबकि होना यह चाहिए कि आरटीआई डालने की भी ज़रूरत न पड़े — CCTV रिकॉर्डिंग हर कार्यालय के पोर्टल पर स्वतः ऑनलाइन उपलब्ध रहे। ऐसा न होना न सिर्फ पारदर्शिता की मूल भावना से खिलवाड़ है, बल्कि यह व्यवस्था के भीतर छिपे अंधेरे को उजागर करता है। तो सवाल यह उठता है — जब कानून साफ है, आदेश स्पष्ट हैं, और उद्देश्य पारदर्शिता है, तो फिर एक XEN कार्यालय में बार-बार सूचनाएं देने से इनकार क्यों किया गया? और जब रिकॉर्डिंग ही हर बार गायब हो जाए, या डिवाइस बार-बार खराब निकले, तो क्या यह मान लिया जाए कि या तो पारदर्शिता की मंशा ही नहीं है, या फिर रिकॉर्ड जानबूझकर मिटाए जा रहे हैं? जयंवत भैरविया की इन आरटीआई के जवाब ने एक बड़ी बात को उजागर किया है — कि जब सरकारी संस्थाएं, जनता के पैसों से खरीदी गई तकनीक से खुद जनता को ही नजरअंदाज करें, तो यह सिर्फ सूचना नहीं रोकना नहीं, बल्कि लोकतंत्र की निगरानी प्रणाली पर भी ताला लगाना है।

ड्रोन तस्वीरें देख तय कीजिए कौन है पहाड़ों की हत्या के दोषी, काटने वाले या फिर चुप रहकर तमाशा देखने वाले???



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर की पहाड़ियां अब भूमाफियाओं की जागीर बन गई है। यहां बरसों से सरकारी और राजनीतिक संरक्षण में जेसीबी का तांडव चल रहा है। कई पहाड़ों की हत्या हो चुकी है तो कई को अवैध रूप से काट कर निढाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बरसों पहले पहाड़ों के हत्यारों को कड़ी सजा देने आदेश दे चुका है लेकिन नेताओं, भू माफियाओं और प्रशासनिक अधिकारियों के गठजोड़ के चलते जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है।
इन ड्रोन तस्वीरों को हमें आरटीआई एक्टिविस्ट और पत्रकार जयवंत भैरविया ने उपलब्ध करवाया है। इसमें साफ दिख रहा है कि पहाड़ बेरहमी से काट दिया गया है। मोरवानिया क्षेत्र में जिस अंदाज़ में पहाड़ी को काटा गया, वो न सिर्फ प्रकृति का अपमान है, बल्कि कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस भी है। पिछले दिनों ढिंढोरा पीटते हुए जिला प्रशासन ने इस काम को रूकवाया। लोगों को अंदेशा है कि जयपुर या दिल्ली से किसी आदेश के आने के बाद ये फिर से शुरू हो जाएगा। ये तस्वीरें एक साल पुरानी है जब पहाड़ी को काटा जा रहा था। तब ये वीडियो खूब वायरल भी हुए थे। अफसरों और नेताओं तक भी पहुंचे थे लेकिन किसी उपरी दबाव के चलते होंठ सिल दिए। पहाड़ों की स्वयंभू संरक्षक यूडीए को इतने बड़े पैमाने पर पहाड़ काटे जाने की जानकारी ही ना हो, यह हो ही नहीं सकता। अब अचानक यूडीए के वही अफसर कार्रवाई करते हुए काम को रूकवा रहे हैं जो काम वे एक साल पहले भी कर सकते थे? क्या अफसरों व नेताओं को लगता है कि उदयपुर की जनता बहरी और गूंगी है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता? या फिर उन पर भी पैसा, पावर और सत्ता का नशा चढ़ गया है? इन ड्रोन तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद तय कर लीजिए कि पहाड़ों के महाविनाश के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। वो जो विनाशलीला का खेल खेल रहे हैं या फिर वो जो अपने आर्थिक लाभ के लिए उनको ये खेल खेलने दे रहे हैं?? ये पहाड़ देश के सबसे पक्के पहाड़ हैं जिनको बनने में खरबों साल लगे। ये हमारे रक्षक, प्रहरी, विरासत और इतिहास भी अभिन्न अंग हैं। अगर आज हम इनका खात्मा कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए महाविनाश के बीज बो रहे है। अगर आज हम सत्ता या पद के अहंकार में चूर होकर पिता तुल्य पहाड़ों को मौत के घाट उतार रहे हैं तो प्रकृति हमें कभी माफ नहीं करने वाली है।

एडीजे मुख्य परीक्षा में कोई सफल नहीं, अनियमितताओं के आरोपों के बीच वकीलों का विरोध-19 अप्रैल को उदयपुर सहित पूरे राजस्थान में न्यायिक कार्य बहिष्कार

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आयोजित एडीजे (एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज) मुख्य परीक्षा-2023 के परिणामों ने राज्यभर में विवाद और असंतोष की चिंगारी भड़का दी है। हाईकोर्ट द्वारा बुधवार को घोषित परिणाम के अनुसार इस प्रतिष्ठित परीक्षा में शामिल हुए किसी भी अभ्यर्थी को सफल नहीं माना गया, जिससे प्रदेशभर के अधिवक्ताओं और न्यायिक सेवा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। इस परिणाम के बाद अधिवक्ताओं ने परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह संभव नहीं कि एक भी प्रतिभागी न्यूनतम अंक भी हासिल न कर सके। पूर्व की न्यायिक भर्तियों में भी सामने आई धांधलियों और अनियमितताओं की पृष्ठभूमि में इस बार की भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इस विरोध के स्वरूप में राजस्थान के विभिन्न जिलों में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन और न्यायिक कार्यों से बहिष्कार का निर्णय लिया है। इसी क्रम में बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा 19 अप्रैल 2025 को जिले की समस्त अदालतों में न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चन्द्रभान सिंह शक्तावत और महासचिव महावीर प्रसाद शर्मा द्वारा जिला एवं सेशन न्यायाधीश को पत्र लिखकर यह जानकारी दी गई है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह आंदोलन मात्र परिणामों को लेकर नहीं, बल्कि भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और न्यायिक संस्थानों की विश्वसनीयता की रक्षा के लिए उठाया गया एक कदम है। वकीलों ने यह भी मांग की है कि परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, ताकि योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय न हो। राज्यभर में वकीलों के इस सामूहिक विरोध से न्यायिक कार्य प्रभावित होने की संभावना है। यह स्थिति न्यायिक प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है और अब सभी की निगाहें राजस्थान हाईकोर्ट और राज्य सरकार की आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं।

उदयपुरः कुंभलगढ़ रेंज में 7 बंदरों का बेरहमी से शिकार, कथोड़ी समाज के 12 आरोपी गिरफ्तार



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर | कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में सात बंदरों की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। इस जघन्य कृत्य को अंजाम देने के आरोप में सायरा थाना पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में आदिवासी कथोड़ी समाज के 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामला कड़ेच ग्राम पंचायत के रीछवाड़ा गांव का है, जहां आरोपियों ने पहले बंदरों को फंसाया, फिर लोहे के धारदार हथियारों से उनके शवों के टुकड़े कर मांस की पोटलियां तैयार कीं।

वन अधिकारियों पर हमला करने की कोशिश

घटना की सूचना मिलते ही हायला रेंज के फॉरेस्टर तुलसीराम मेघवाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपियों ने उन्हें घेरकर हमला करने का प्रयास किया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई, हालांकि अधिकारी खुद को किसी तरह सुरक्षित निकालने में सफल रहे और तुरंत अतिरिक्त टीम को मौके पर बुलाया गया।
इसके बाद बोखाड़ा रेंज से क्षेत्रीय वन अधिकारी जयंतीलाल गरासिया, फॉरेस्टर नारायण सिंह राणावत, वनरक्षक वीरेंद्र सिंह शेखावत, अशोक गरासिया, ओमप्रकाश और नीरज मौके पर पहुंचे। तलाशी अभियान में आरोपियों के पास से बंदरों का मांस, शिकार में प्रयुक्त हथियार और चार मोटरसाइकिल बरामद की गईं।

लोहे के तार से फंसाकर किया शिकार, कबूला गुनाह

पूछताछ में सभी 12 आरोपियों ने शिकार की बात स्वीकार की। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने लोहे के तारों से बंदरों को फंसाया, फिर धारदार हाशिए से उनकी हत्या की और मांस को पोटलियों में भर लिया। सभी आरोपी ओगणा थाना क्षेत्र के समीजा गांव के निवासी हैं। उनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

जंगल में कड़ी निगरानी, वन विभाग अलर्ट

इस घटना के बाद वन विभाग ने पूरे क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। विभाग का कहना है कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार, कथोड़ी समाज परंपरागत रूप से जंगलों में रहकर शिकार पर निर्भर था। राज्य सरकार द्वारा अब उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है, लेकिन कुछ समूह अब भी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। वन्यजीवों के प्रति ऐसी हिंसा न केवल अवैध है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी खतरा है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उदयपुर ने शुरू किया "परिंडा अभियान", 500 परिंडे लगाने का लक्ष्य



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) उदयपुर महानगर द्वारा पर्यावरण संरक्षण और पक्षी संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए शुक्रवार को "परिंडा अभियान" की शुरुआत की गई। यह अभियान SFD (विकासार्थ विद्यार्थी) गतिविधियों के अंतर्गत 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत महानगर क्षेत्र में कुल 500 परिंडे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान की शुरुआत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर से की गई। इस अवसर पर महानगर एसएफडी सह-संयोजक विवेक पाटीदार ने बताया कि भीषण गर्मी में पक्षियों को राहत देने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है, ताकि वे जल के लिए भटकने को मजबूर न हों। महानगर मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, एसएफडी प्रमुख हर्ष श्रीमाली, अर्जुन खीची, प्रवीण टांक, चिराग दाहिमा, तुषार वाघेला, पीयूष झाला, हीना कंवर, ध्वनि व्यास, युवराज राव, आदित्य चौहान, चंद्रेश रेगर सहित बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया और परिसर में विभिन्न स्थानों पर परिंडे लगाए। कार्यकर्ताओं ने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे भी अपने घरों, संस्थानों और आसपास के क्षेत्रों में पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें ताकि भीषण गर्मी में जीवन के इन नन्हें प्राणियों को राहत मिल सके।

शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दमकल ने समय रहते पाया काबू, ऑटो पूरी तरह जलकर राख



24 न्यूज अपडेट

डूंगरपुर। सागवाड़ा थाना क्षेत्र के पंचवटी-गलियाकोट रोड पर शुक्रवार को एक लोडिंग ऑटो में चलते समय अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। तेज लपटें उठती देख इलाके में हड़कंप मच गया, वहीं चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कूदकर अपनी जान बचाई। लोडिंग ऑटो के ड्राइवर हितेश पुत्र प्रकाश डामोर निवासी मडकोला ने बताया कि वह सागवाड़ा से अरथुना लोहे की प्लेट्स छोड़ने जा रहा था, तभी रास्ते में अचानक ऑटो में धुंआ उठने लगा और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। हितेश ने तुरंत वाहन से छलांग लगाकर जान बचाई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते ऑटो पूरी तरह जलकर राख हो गया। सड़क के दोनों ओर यातायात रुक गया और लोगों में अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल अधिकारी नीलेश पाटीदार, शांतिलाल मकवाणा, वाहन चालक दिनेश कलाल और उनकी टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया। हालांकि तब तक लोडिंग ऑटो पूरी तरह से जल चुका था, जिससे टेम्पो मालिक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। पुलिस और दमकल विभाग आग के कारणों की जांच कर रहे हैं, हालांकि प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को इसका कारण माना जा रहा है।

24 न्यूज़ अपडेट- डिजिटल संस्करण स्वामित्व एवं प्रसारण ग्रुप के लिए करण सिंह देवड़ा द्वारा ई-न्यूज पेपर के फारमेट में प्रसारित प्रधान सम्पादक - सुशील जैन फोन .88520 73787, desk24newsupdate@gmail.com सर्वविवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा ।